कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला–मुरैना (म0प्र0)

दूरभाष : (कार्या.) 07532–223500, (नि.) : 223400, (फैक्स) : 226500, ई–मेल : dmmorena@nic.in, deomorena@gmail.com

क्रमांक / स्टेनो / ए.डी.एम. / को.वा. / 2020 / 4243 मुरैना, दिनांक 16 मई,2020

आदेश
(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) से जनहित बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए पूर्व में कार्यालयीन आदेश क्रमांक / स्टेनो / ए.डी.एम. / को.वा. / 2020 / 3831, दिनांक 24.03.2020 से निषेधाज्ञा जारी कर लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए थे।

एतस्मिन्पश्चात् भारत सरकार गृह मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्गत आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A) नई दिल्ली दिनांक 14 अप्रैल, 2020 के पालन क्रम में इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक / स्टेनो / ए.डी.एम. / को.वा. / 2020 / 3932, दिनांक 14.04.2020 द्वारा दिनांक 24.03.2020 को निर्गत निषेधाज्ञा को दिनांक 03.05.2020 तक वृद्धि की गई।

इसके पश्चात कार्यालयीन आदेश / क्रमांक / 4078, दिनांक 03.05.2020 द्वारा जिले को ऑरेन्ज श्रेणी में मान्य कर पुनः लॉकडाउन लगाया था।

अब वर्तमान स्थिति में कोरोना के संक्रमित नये केस नगरपालिका पोरसा के वार्ड क्रमांक 06 में चिन्हित हुए है। अतः **नगरपालिका पोरसा के वार्ड क्रमांक 06** में कोविड़–19 की गंभीर परिस्थिति ज्ञात होने के फलस्वरूप मैं प्रियंका दास, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला मुरैना, मुरैना जिले के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन जारी दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराते हुए इस क्रम में निर्गत पूर्व आदेशों को उद्देश्य पूर्ति के लिए यथाआवश्यक संशोधित करते हुए **नगरपालिका पोरसा के वार्ड क्रमांक 06 के** लिए दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों के अधीन **अन्य आदेश होने तक** कर्फ्यू लगाने का आदेश प्रसारित करती हूँ।

कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा तथा किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं करेगा। अन्य कोई भी व्यक्ति घोषित कर्फ्यू क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।

पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त जारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करावेगा। चूंकि यह आदेश जन सामान्य के जनमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथा इतना समय उपलबध नहीं है कि जन सामान्य व इससे संबंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें। अतः यह आदेश दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यन्त विशेष

परिस्थितियों में अथवा इस आदेश में उल्लेखित प्रावधानों में संशोधन/स्पष्टीकरण पृथक से जारी हो सकेगें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रियंका दास)
कलेक्टर,
जिला मुरैना म.प्र.

पृ.कमांक/स्टेनो/ए.डी.एम./को.वाय./2020/1243 मुरैना,दिनांक 16 मई,2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना।
4. महानिरीक्षक पुलिस, चम्बल जोन, ग्वालियर।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना।
7. अपर जिला दण्डाधिकारी, मुरैना।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन, मुरैना।
9. आयुक्त, नगरपालिक निगम/पी.ओ. डूडा, मुरैना।
10. समस्त एस.डी.एम./एस.डी.ओ.पी./तहसीलदार/थाना प्रभारी/सी.एम.ओ./सी.ई.ओ./बी.एम.ओ., जिला मुरैना ....।
11. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मुरैना की ओर प्रचार–प्रसार हेतु।
12. ....की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर,
जिला मुरैना म.प्र.